# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

## बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

**प्रार्थना पत्र सं. 04/2022**

| प्रार्थीगण | अप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1. कुम्बसिंह पुत्र मगतसिंह<br>2. दूलसिंह पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत निवासी बाडाणी तह0 व जिला नागौर। | 1. आसूराम पुत्र कानाराम<br>2. कालूराम पुत्र कानाराम<br>3. दुर्गाराम पुत्र कानाराम<br>4. दूलाराम पुत्र कानाराम<br>5. प्रभुराम पुत्र कानाराम<br>6. सोनी उर्फ सोहनी पत्नि स्व0 कानाराम जाति जाट निवासी बाडाणी तह0 व जिला नागौर<br>7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नागौर<br>8. तहसीलदार नागौर<br>9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर। |

उपस्थित :–
श्री माधोसिंह, (वकील प्रार्थीगण)
श्री बाबूलाल भादू, (अप्रार्थी सं0 1 से 6)

**आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम**

## ::आदेश::

**दिनांक :– 05.04.2024**

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी के खातेदारी के खेताय हाल खसरा नम्बर 145 रकबा 2.9704 हैक्टेयर(18 बीघा 7 बिस्वा) व प्रार्थी सं0 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 773/145 रकबा 1.4811 हैक्टेयर (9 बीघा 3 बिस्वा) मौजा बारानी तहसील नागौर में स्थित है, जो दोनो खेतो के मूल खसरा नम्बंर 145 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा है जो सम्पूर्ण खेत मौके पर एकल खेत के रूप में स्थित है तथा अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 11.112 हेक्टर है जो बाडाणी में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत व अप्रार्थीगण के खेत के बीच कटाणी रास्ता जो बाडाणी से बालवा चलता हैं।

प्रार्थीगण के खेताय के चिपते ही पूर्वी तरफ कटाणी रास्ता स्थित है जो कटाणी रास्ता बाडाणी से बालवा की और से जाता है जो मौके पर कटाणी रास्ता है एवं प्रार्थीगण के खेत के पूर्वी सीमा के पास से होते हुए आगे उतर से दक्षिण चलता है जो प्रार्थीगण के खेताय मूल खसरा नम्बर 145 व अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 348 के मध्य चलता है तथा राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 145 व खसरा नम्बर 348 के मध्य कटाणी रास्ता दर्ज है। उक्त कटाणी रास्ता पर अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर मिला दिया है तथा अप्रार्थीगण रास्ता पर अतिक्रमण कर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 प्रार्थीगण के खेत की सीमा का धोरा यानि माठ को तोड फोड करके कटाणी रास्ते को प्रार्थीगण के खेत में निकाल रहे है। कटाणी रास्ता पर अप्रार्थीगण खेत खसरा

नम्बर 348 के खातेदार ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थीगण ने श्रीमान जिला कलक्टर नागौर से सीमा ज्ञान करवाने हेतु निवेदन करने पर श्रीमान जिला कलक्टर नागौर व्दारा अप्रार्थी संख्या 8 को सीमा ज्ञान करवाने का आदेश दिया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 8 व्दारा दिनांक 2.7.2018 को राजस्व टीम का गठन कर सीमा ज्ञान करवाने का आदेश दिया जिस पर राजस्व टीम व्दारा दिनांक 1.8.2018 को मौके पर नाप किया जिसमें भी मौके पर चल रहे रास्ता खसरा नम्बर 145 में चलता हुआ पाया गया व कटाणी रास्ता पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण पाया तब अप्रार्थीगण को कटाणी रास्ता की जमीन छोडने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थीगण ने उक्त कटाणी रास्ता की जमीन छोडने से इन्कार करते हुए मौके पर झगडा टन्टा करने पर उतारू हो गये और गाली गलोच करने लगे। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अवैध रूप से कटाणी रास्ता पर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिला दिया तथा कटाणी रास्ते को अप्रार्थीगण व्दारा सीमा माठ तोडकर प्रार्थीगण के खेत में डालने की कोशिश करने के कारण तथा मौके पर सीमा विवाद को लेकर झगडा टन्टा होने व अशांति पेदा होने की पूर्ण संभावना पेदा हो रखी है तथा आने जाने का रास्ता अवरूध्द होने की पूरी संभावना हो रखी है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास कोई वैधानिक विकल्प उपलब्ध नहीं होने से पत्थर गडडी हेतु यह आवेदन पेश किया जा रहा है।

यह है कि, खेत खसरा नम्बर 145 का प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा प्रार्थीगण के खेत की पूर्वी सीमा के पास से होकर कटाणी रास्ता बाडाणी से बालवा चलता है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपने बहूबल से जबरन जानबूझकर अतिक्रमण कर अपने खेत खसरा नम्बर 348 में शामिल कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है फिर भी नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत का सीमाज्ञान व पत्थर गडडी करवायी जाना आवश्यक है ताकि सीमा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाय और मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे।

प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत का सीमा ज्ञान करवाना पत्थर गडडी करवाने का अपनी खातेदारी की भूमि का अवैध अतिक्रमण हटवाने का कानूनी अधिकार है तथा सीमा ज्ञान करवाने से व पत्थर गडडी करवाने से कोई किसी तरह की क्षति होने वाली नहीं है और न ही किसी पक्षकार के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव पडने वाला है ऐसी स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर सीमा पर पत्थर गडडी कायम करवाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अप्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 348 भूमि बैंक में गिरवी रहने से बैंक को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है लेकिन इस प्रार्थना पत्र से बैंक के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा तथा अप्रार्थी संख्या 9 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर है उक्त कटाणी रास्ता पर सडक निर्माण करवाना चाह रहे है इसलिए भी अप्रार्थी संख्या 9 आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है।

अन्त में प्रार्थीगण द्वारा इस्तदुआ चाही गई कि, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत मूल खसरा नम्बर 145 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा मौजा बाडाणी का सीमा ज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के खेत की पूर्वी सीमा पर पत्थर गडडी कायम करवाने का आदेश प्रदान करावे।

दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 की ओर से वकील श्री बाबुलाल भादू ने वकालतनामा पेश किया व जवाब पेश किया कि–

आवेदन पत्र की मद संख्या एक का जिस प्रकार से अंकन किया गया है गलत होने से अस्वीकार है तथा खसरा व रकबा के संबंध में उतरदाताओ को पूरी जानकारी नहीं है। तथा रेकर्ड से साबित करे। यह सही है कि उतरदाताओ का खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 11.112 हेक्टर है जो बाडाणी गांव में स्थित है तथा हमारे खेत व प्रार्थीगण के खेत के बीच से कटाणी रास्ता बाडाणी से बालवा तक चलता है अन्य तथ्य प्रार्थीगण दस्तावेज से साबित करे।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह सही है कि जो कटाणी रास्ता प्रार्थीगण व्दारा बालवा से बाडाणी तक चलना बताया है वो प्रार्थीगण के खेत व उतरदातागण के खेत के मध्य उत्तर से दक्षिण की और चलता है तथा उतरदाताओ के खेत खसरा नम्बर 348 एवं प्रार्थीगण का खेत रास्ता के पश्चिमी तरफ आया हुआ है जिसके खसरे व रकबे के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। यह गलत है कि कटाणी रास्ता की जमीन पर अप्रार्थीगण अवैध रूप से अतिक्रमण हो और रास्ता की जमीन को अपने खेत में मिला लिया हो तथा यह भी गलत है कि अप्रार्थीगण रास्ते की जमीन पर काश्त कर रहे हो तथा यह भी गलत है कि उतरदाता ने प्रार्थीगण के खेत की सीव व धोरा माठ तोड मरोड दी हो जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच में रास्ता है व दोनो की सीवे भी अलग अलग है इसलिए सीव तोडना व तोड मरोड करना का कथन झूठा है तथा प्रार्थीगण व्दारा जिला कलक्टर नागौर को सीमा ज्ञान का आवेदन दिया होगा तथा मौके पर हल्का पटवारी मय टीम के आकर के मौके पर नाप चौप कर सीव माठ पुख्ता करवाया था जिसको प्रार्थीगण ने मानने से इन्कार कर दिया तथा रास्ते की जमीन पर प्रार्थीगण का कब्जा पाया गया जबकि उतरदाताओ का खेत रकबे व खातेदारी के अनुसार मौके पर लगभग 3 बीघा कम पाया गया। स्वयं प्रार्थीगण व्दारा अपने खेत की सीव रास्ते की तरफ खिसकाकर उस पर अतिक्रमण करना पाया गया तो प्रार्थीगण ने राजस्व टीम व्दारा नाप चौप करने के नाप को सही नहीं माना एवं मौके पर झगडा टन्टा व गाली गलोच करने पर उतारू हो गये तथा अब प्रार्थीगण व्दारा माप चौप नहीं माना गया एवं गलत रूप से गलत तथ्य अंकित करके अप्रार्थीगण के विरूध्द बेबुनियाद आवेदन पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि उतरदाताओ ने बाडाणी से बालवा जाने वाले रास्ते को बाहुबल से जबरन अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 348 में शामिल कर लिया हो जबकि मौके पर राजस्व टीम व्दारा नाप चौप करने पर अतिक्रमण प्रार्थीगण स्वयं व्दारा करना पाया गया जिस पर प्रार्थीगण ने माप चौप करने से इन्कार कर माप चौप मानने से मनाह कर दिया एवं इसके पश्चात गलत रूप से सीमा ज्ञान व पत्थर गड्डी का आवेदन पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य गलत होने से. अस्वीकार है। उत्तरदाताओं का रास्ता की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं होना नाप चौप से पूर्व में साबित हो चुका है तथा उक्त नाप चौप के समय पूरे गांव के लोग इकटठे थे जिस माप चौप को प्रार्थीगण स्वयं ने मानने से

इन्कार किया था अब प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य बनाकर गलत आधारो पर हम उतरदाताओ के विरुध्द सीमा ज्ञान एवं पत्थर गडडी कायम करने का आवेदन पेश किया है जो न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जावे।

आवेदन पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पत्थरगडडी के आवेदन में बैंक को एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाना गलत है तथा यह दोनो ही आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते है तथा प्रार्थीगण का आवेदन पक्षकारो के संयोजन एवं कुसंयोजन के आधार पर कानूनी प्रावधानो के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

नक्शा ट्रेस जो प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है उसका अवलोकन करने से साफ जाहिर है कि नया नक्शा ट्रेस व पुराना नक्श ट्रेस में रास्ता में भिन्नता है तथा वर्तमान में रास्ता सीधी लकीर एवं पूर्व रास्ता चलता था ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण रेकर्ड दुरूस्ती से संबंधित है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्त करवाने से पूर्व पेश किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण रास्ता को पुराने नक्शे के में चल रहे रास्ते क अनुसार मौके पर रास्ता को कायम करना चाहते है जबकि नक्शा में वर्तमान रास्ते के अनुसार ही रास्ता को कायम किया जा सकता है तथा प्रावधान भी नये रास्ता जो नक्शे में अंकित है उसी अनुसार कायम किया जा सकता है।

वर्तमान में अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के खेतो के दोनों तरफ पक्की सडक बनी हुई है एवं इन खेतो के बीच में मुरडिया सडक बनी हुई है। प्रार्थीगण ने पक्की सड़क बनने से मनाह कर दिया तथा पूर्व में मुरडिया सडक बनी उसी अनुसार ही बनने से मनाह कर दिया । तथा सडक को माप चौप कर पुखता किया गया था उस अनुसार भी बनाने से मनाह कर दिया इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त सडक/रास्ता को सम्पूर्ण गांव ने मौके पर इकटठे होकर के नाप चौप कर एवं मुटाम कर निश्चित स्थान पर चिन्हित कर दिया था उसके बावजूद भी प्रार्थीगण मानने से इन्कार हो गये एवं सडक निर्माण का कार्य रूकवा दिया गया फिर गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण द्वारा सहायक अभियन्ता को पक्षकार बनाया गया है जो एक सरकारी एजेन्सी है। सरकारी एजेन्सीधविभाग के विरूध्द प्रार्थना पत्र किस आधारो पर पेश किया गया इसका कोई आधार व कारण नहीं बताया गया है। सरकार के विरूद्ध वाद/आवेदन पत्र पेश करने से पूर्व धारा 80 सी. पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है इसलिए भी आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतःजबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन बलहीन सारहीन एवं गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

दिनांक 15.03.2024 को उभयपक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि भू.अ.नि. अलाय, पटवारी मकोड़ी व पटवारी बाडाणी द्वारा तैयार की गई फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.08.2018 में ख.नं. 145 का नाप उत्तरी माठ रास्ते

तक नक्शेअनुसार 51 गठा होना चाहिये, जो मौके पर 46 गठा ही बताया हैं। अतः सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट हैं कि ख.नं. 145 का नाप उत्तरी माठ रास्ते तक 5 गठा कम आया हैं। अतः ख.नं. 145 का मध्यवर्ती सीमाओ के मुतागिक नक्शा असल ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौके पर सही नाप चौप करवया जाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि मौका रिपोर्ट में ख.नं. 348 का अतिक्रमण नहीं बताया हैं। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया हैं कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की सीमा को लेकर बार–बार विवाद उत्पन्न हो रहे है। इसलिए प्रार्थीगण मौजा बाडाणी तह0 व जिला नागौर के खेत मूल खसरा नम्बर 145 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि की मध्यवर्ती सीमाओं को मुताबिक नक्शा असल ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर मुटाम रोपकर पत्थरगढी करवाना चाहते है। भू.अ.नि. अलाय, पटवारी मकोड़ी व पटवारी बाडाणी द्वारा तैयार की गई फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.08.2018 में ख.नं. 145 का नाप उत्तरी माठ रास्ते तक नक्शेअनुसार 51 गठा होना चाहिये, जो मौके पर 46 गठा ही बताया हैं।

उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि मौजा बाडाणी तह0 व जिला नागौर के खेत मूल खसरा नम्बर 145 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा भूमि की मध्यवर्ती सीमाओं को मुताबिक नक्शा असल ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। इस हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर फीस 1000/– रूपये निर्धारित की जाती है जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर ही देय होगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी,**
**नागौर**

आदेश आज दिनांक 05.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी,**
**नागौर**